



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 898) पटना, शुक्रवार, 31 जुलाई 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

31 जुलाई 2026

सं० एल०जी०-01-22/2026-6230/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026

[बिहार अधिनियम सं०-14, 2026]

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017)

का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम की धारा 2 से धारा 4, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. धारा 15 का संशोधन।- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् बिहार माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (3) में खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात्, यदि ऐसी छूट के लिए पूर्तिकार द्वारा जमापत्र जारी किया गया है और ऐसी छूट से जुड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय धारा 34 के उपबंधों के अनुसार पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।”।

3. धारा 34 का संशोधन।- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में, “दोनों में कमी पायी जाती है” शब्दों के पश्चात्, “या जहां धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसार कोई छूट दी जाती है”, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 54 का संशोधन।- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में,-

- (क) उपधारा (6) में, “शून्य दर वाले मालों या सेवाओं या दोनों”, शब्दों के पश्चात्, “या उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन अनुज्ञात अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) उपधारा (14) में, “इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,” शब्दों के पश्चात्, “उन मामलों से भिन्न, जहां कर के संदाय के साथ भारत से निर्यात किए गए माल के कारण कर के प्रतिदाय का दावा किया जाता है, वहां” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

31 जुलाई 2026

सं० एल०जी०-01-22/2026-6231/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2026 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर(संशोधन) अधिनियम 2026 (बिहार अधिनियम 14, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2026
[Bihar Act No.- 14, 2026]

AN
ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12, 2017).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—

- (1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2026.
- (2) Save as otherwise provided in this Act, Section 2 to Section 4 of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 15.—In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Bihar Goods and Services Tax Act), in section 15, in sub-section (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

- “(b) after the supply has been effected, if for such discount, a credit note has been issued by the supplier and input tax credit as is attributable to such discount has been reversed by the recipient of the supply, in accordance with the provisions of section 34.”

3. Amendment of Section 34.—In section 34 of the Bihar Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), after the words “both supplied are found to be deficient”, the words, brackets, letter and figures “or where a discount referred to in clause(b) of sub-section (3) of section 15 is given” shall be inserted.

4. Amendment of Section 54.—In section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act,—

- (a) in sub-section (6), after the words “supply of goods or services or both”, the words, brackets and figures “or of unutilised input tax credit allowed under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3)” shall be inserted;
- (b) in sub-section (14), after the words, brackets and figures “sub-section (5) or sub-section (6)”, the words, “other than cases where refund of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax,” shall be inserted.

BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 898-571+400-डी0टी0पी0।
 Website: <https://egazette.bihar.gov.in>